(35)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

प्रार्थना पत्र संख्या 81/2021 तारीख रजू 04.10.2021

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. हरकेश पुत्र रूगनाथ बैरवा निवासी मलारना डूंगर तह0 मलारना डूंगर
2. पानबाई पत्नी हरकेश बैरवा निवासी मलारना डूंगर तह0 मलारना डूंगर

.........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता–

पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

श्री रमेश चन्द बैरवा एडवोकेट – अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 16.07.2025

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 31.07.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण हरकेश पुत्र रूगनाथ बैरवा निवासी मलारना डूंगर तह0 मलारना डूंगर एवं पानबाई पत्नी हरकेश बैरवा निवासी मलारना डूंगर तह0 मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर में आदेश दिनांक 31/07/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा भू.अ. [illegible] हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं [illegible] आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं है, अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। [illegible] बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के [illegible] अनुसार भूमि मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:24 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पड़त पडी हुई है एवं अन्य व्यक्तियों का कब्जाकाश्त है। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 31.07.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेरोकार सरकार द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस में तर्क दिया कि हम अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 31.07.2022 को आवंटन आदेश जारी कर नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा का हमारे पक्ष में आवंटन किया था। आवंटन के पश्चात से ही लगातार हम अपनी भूमि पर काबिज है तथा नियमित काश्त कर रहे है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनने एवं उस पर मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण हरकेश पुत्र रूगनाथ बैरवा निवासी मलारना डूंगर तह0 मलारना डूंगर एवं पानबाई पत्नी हरकेश बैरवा निवासी मलारना डूंगर तह0 मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है व आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। अप्रार्थीगण उक्त आवंटित ख0नं0 पर अपने कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 31.07.2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मलारना डूंगर के आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन–1 किस्म बंजड 2, 2183/5 किस्म बारानी 3 रकबा 1.0 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:22:24 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर